

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू ।

अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र

उप मण्डल अधिकारी (ना०), मनाली, वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू, वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल कुल्लू, प्राधिकृत अधिकारी BRO C/o 56 APO, सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग सव डिविजन हि० प्र० लोक निर्माण विभाग कुल्लू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र मनाली, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन्य प्राणी परिक्षेत्र मनाली तथा अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हि०प्र० लोक निर्माण विभाग पण्डोह द्वारा दिनांक 01-11-2014 को किए गए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करके वन परिक्षेत्र मनाली व वन्य प्राणी परिक्षेत्र मनाली में एन०एच०-21 310/० मनाली पुल के निर्माण हेतु वन भूमि रक्वा तदादी 0-34-33 हैकट० अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हि०प्र० लोक निर्माण विभाग पण्डोह के नाम हस्तान्तरण वारे अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है। प्रस्तावित वन भूमि में सार्वजनिक स्थल, पानी का स्त्रोत, श्मशानघाट आदि न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हि०प्र० लोक निर्माण विभाग पण्डोह के नाम प्रस्तावित वन भूमि रक्वा तदादी 0-34-33 हैकट० के अर्जन हेतु अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(स०प०) ।—

(विनय सिंह)

उपायुक्त कुल्लू ।

पृष्ठांकन संख्या ५५/२-१३ / डी०आर०ए० दिनांक:— १७-१२-२०१५
प्रतिलिपि:—

1. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू एवं वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।

2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हि०प्र० लोक निर्माण विभाग पण्डोह जिला मण्डी को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विनय सिंह)

उपायुक्त कुल्लू ।